छत्तीसगढ़ शासन

वित्त विभाग

वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन

वर्ष 2017-18

छत्तीसगढ़ शासन

वित्त विभाग

प्रस्तावना

विभाग द्वारा वर्ष 2017–18 का विभागीय वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है । इस प्रतिवेदन में वित्त विभाग के अंतर्गत आने वाले विभागाध्यक्ष कार्यालयों / निगम की गतिविधियों एवं उनके द्वारा संचालित कार्यक्रमों की जानकारी संकलित की गई है ।

(अमिताभ जैन)
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग

छत्तीसगढ़ शासन

वित्त विभाग

1.	विभाग का नाम	:	वित्त विभाग
2.	प्रभारी मंत्री का नाम	:	डॉ. रमन सिंह
3.	राज्य वित्त आयोग	:	अध्यक्ष–श्री चन्द्रशेखर साहू
		:	मनोनित सदस्य–श्री नरेश चन्द्र गुप्ता
4.	छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास निगम लिमिटेड	:	अध्यक्ष– मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन

मंत्रालय में पदस्थ अधिकारीगण

प्रमुख सचिव	:	श्री अमिताभ जैन
सचिव	:	डॉ. कमलप्रीत सिंह
अपर सचिव	:	श्री सतीश पाण्डेय
संयुक्त सचिव	:	1. श्रीमती शारदा वर्मा
	:	2. श्री एस.के. चक्रवर्ती
	:	3. डॉ. ए.के. सिंह
उप सचिव	:	1. श्री आर.के. सिसोदिया
अवर सचिव	:	1. श्रीमती प्रेमागुलाब एक्का
	:	2. श्री मोतीराम खुंटे
शोध अधिकारी	:	1. श्री अतुल कुल श्रेष्ठ
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी	:	1. श्री आलोक कुमार राय
	:	2. श्री राजशेखर शर्मा
	:	3. श्री ऋषभ पाराशर
	:	4. श्री अरविंद कुजूर
	:	5. श्री महेश साकल्ले
	:	6. श्री सीताराम तिवारी
	:	7. श्री राघवेन्द्र कुमार

<u>विभागाध्यक्ष</u>

1.	संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन	:	श्रीमती शिखा राजपूत तिवारी
2.	संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा	:	श्री जनक प्रसाद पाठक
3.	संचालक, संस्थागत वित्त	:	डॉ. कमलप्रीत सिंह
4.	संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली	:	श्रीमती शारदा वर्मा
5.	प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास निगम लिमिटेड	:	श्री अन्बलगन पी.
6.	सचिव, राज्य वित्त आयोग	:	श्री बी.के. अग्रवाल

विषय–सूची

क्र.	विभाग	संचालनालय/आयोग/मण्डल	पृष्ठ संख्या
1.	वित्त विभाग	1. संचालनालय, कोष लेखा एवं पेंशन	पेज 01 से 9 तक
		2. संचालनालय, स्थानीय निधि संपरीक्षा	पेज 10 से 16 तक
		3. संचालनालय, संस्थागत वित्त	पेज 17 से 22 तक
		4. संचालनालय, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली	पेज 23 से 24 तक
		5. छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास निगम लिमिटेड	पेज 25 से 26 तक
		6. तृतीय छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग	पेज 27 से 28 तक

संचालनालय, कोष, लेखा एवं पेंशन छत्तीसगढ़, नया रायपुर

भाग–एक–

सामान्य जानकारी–

संचालनालय, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़ की स्थापना दिनांक 01.11.2000 को राज्य पुनर्गठन के फलस्वरूप हुई। विभाग की मुख्य गतिविधियों में राजकोष प्रशासकीय नियंत्रण, पेंशन तथा वेतन निर्धारण, लेखा प्रशिक्षण, कोष निरीक्षण, आंतरिक लेखा परीक्षण, राज्य वित्त सेवा, अधीनस्थ लेखा सेवा तथा अन्य राज्य स्तरीय सेवाओं के संवर्ग नियंत्रक का कार्य तथा अंशदायी पेंशन योजना हेतु नोडल एजेन्सी के रूप में किये जाने वाले सभी कार्य शामिल है ।

1.2 अधीनस्थ कार्यालय :–

संचालनालय, कोष, लेखा एवं पेंशन के अधीनस्थ ऑडिट प्रकोष्ठ, 05 संभागीय कार्यालय 28 कोषालय, 40 उपकोषालय तथा 02 लेखा प्रशिक्षण शालायें हैं ।

1.3 स्वीकृत सेटअप :–

संचालनालय, कोष, लेखा एवं पेंशन, आडिट प्रकोष्ठ एवं अधीनस्थ कार्यालयों के लिये वित्त विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा स्वीकृत सेटअप निम्नानुसार है :–

क्र.	पदनाम	वेतन मैट्रिक्स	श्रेणी	स्वीकृत पद
01	आयुक्त/संचालक	भारतीय प्रशासनिक सेवा का वेतनमान	प्रथम श्रेणी	01
02	अपर संचालक	लेवल–15	प्रथम श्रेणी	02
03	संयुक्त संचालक	लेवल–14	प्रथम श्रेणी	08
04	उप संचालक	लेवल–13	प्रथम श्रेणी	25
05	सिस्टम एनालिस्ट	लेवल–13	प्रथम श्रेणी	01
06	सहायक संचालक/कोषालय अधिकारी/ अति.कोषालय अधिकारी/ प्राचार्य लेखा प्रशिक्षण शाला	लेवल–12	द्वितीय श्रेणी	35
07	प्रोग्रामर	लेवल–12	द्वितीय श्रेणी	05
08	सहायक प्रोग्रामर	लेवल–9	तृतीय श्रेणी	31
09	सहायक कोषालय अधिकारी/उप कोषालय अधिकारी/सहायक आंतरिक लेखा परीक्षण अधिकारी	लेवल–9	तृतीय श्रेणी	516
10	शीघ्रलेखक ग्रेड–1	लेवल–10	तृतीय श्रेणी	01
11.	शीघ्रलेखक ग्रेड–2	लेवल–9	तृतीय श्रेणी	02
12.	शीघ्रलेखक ग्रेड–3	लेवल–7	तृतीय श्रेणी	07

13	सहायक ग्रेड-1 (अधीक्षक-3)	लेवल-7	तृतीय श्रेणी	92
14.	सहायक ग्रेड-2	लेवल-6	तृतीय श्रेणी	235
15.	सहायक ग्रेड-3	लेवल-4	तृतीय श्रेणी	295
16.	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	लेवल-6	तृतीय श्रेणी	39
17.	वाहन चालक	लेवल-4	तृतीय श्रेणी	11
18.	दफ्तरी	लेवल-2	चतुर्थ श्रेणी	33
19.	भृत्य	लेवल-1	चतुर्थ श्रेणी	156
20.	चौकीदार	कलेक्टर दर		13
21.	वाटरमैन	कलेक्टर दर		33
22.	स्वीपर/फर्राश	कलेक्टर दर		32
योग				**1573**

ऑडिट प्रकोष्ठ

क.	**पदनाम**	**वेतन बैंड**	**श्रेणी**	**स्वीकृत पद**
1	अपर संचालक	लेवल-15	प्रथम श्रेणी	01
2	संयुक्त संचालक	लेवल-14	प्रथम श्रेणी	03
3	उप संचालक	लेवल-13	प्रथम श्रेणी	01
3	सहायक संचालक	लेवल-12	द्वितीय श्रेणी	08
4	सहायक आंतरिक लेखा परीक्षण अधिकारी	लेवल-9	तृतीय श्रेणी	16
5	शीघ्रलेखक ग्रेड-3	लेवल-7	तृतीय श्रेणी	02
6	सहायक ग्रेड-2	लेवल-6	तृतीय श्रेणी	04
7	सहायक ग्रेड-3	लेवल-4	तृतीय श्रेणी	08
8	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	लेवल-6	तृतीय श्रेणी	08
9	वाहन चालक	लेवल-4	तृतीय श्रेणी	04
10	भृत्य	लेवल-1	चतुर्थ श्रेणी	05
	योग			**60**

1.4 मुख्य कर्त्तव्य :-

1.4.1 कोष प्रचालन :- छत्तीसगढ़ राज्य के 05 संभागीय संयुक्त संचालकों, 02 लेखा प्रशिक्षण शालायें, 27 जिला कोषालयों एवं 01 इन्द्रावती कोषालय नया रायपुर तथा 40 उपकोषालयों का प्रशासकीय नियंत्रण संचालनालय, कोष, लेखा एवं पेंशन द्वारा किया जाता है। नवीन कोषालयों की स्थापना तथा छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता के अनुसार कोषालयों के संचालन का दायित्व संचालनालय कोष, लेखा एवं पेंशन का है।

1.4.2 कोष निरीक्षण :– राज्य के सभी कोषालय तथा उपकोषालयों का छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता में दिये गये प्रावधानों के अनुसार निरीक्षण का दायित्व संचालनालय, कोष, लेखा एवं पेंशन का है।

1.4.3 पेंशन व वेतन निर्धारण :– राज्य के सभी शासकीय सेवकों के वेतन निर्धारण की जांच तथा पेंशन प्रकरणों के निराकरण का दायित्व संचालनालय, कोष, लेखा एवं पेंशन का है ।

1.4.4 संवर्ग प्रबंधन :– राज्य वित्त सेवा तथा अधीनस्थ लेखा सेवा का संवर्ग प्रबंधन विभागाध्यक्ष कार्यालय द्वारा किया जाता है। प्रोग्रामर, सहायक प्रोग्रामर, कोषालयीन लिपिकीय सेवा वर्ग–1 एवं अधीनस्थ लेखा सेवा संवर्ग की सेवायें राज्य स्तरीय सेवायें है जिनका संवर्ग प्रबंधन भी विभागाध्यक्ष कार्यालय द्वारा किया जाता है ।

1.4.5 लेखा प्रशिक्षण :–राज्य के तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को लेखाओं से संबंधित प्रशिक्षण देने हेतु 02 लेखा प्रशिक्षण शाला राज्य में स्थापित है। राज्य के समस्त तृतीय वर्ग के कर्मचारियों के लेखा प्रशिक्षण के दायित्व का निर्वहन भी संचालनालय, कोष, लेखा एवं पेंशन द्वारा किया जाता है।

1.4.6 अंशदायी पेंशन योजना :– छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 01.11.2004 के पश्चात् नव नियुक्त कर्मचारियों हेतु अंशदायी पेंशन योजना प्रारंभ की गई है, इस योजना में 31.12.2017 तक कुल 1,38,167 अधिकारी /कर्मचारी है।

1.4.7 ऑडिट प्रकोष्ठ :– आंतरिक लेखा परीक्षण कार्य को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए संचालनालय, कोष, लेखा एवं पेंशन के अधीन एक पृथक आंतरिक लेखा परीक्षण प्रकोष्ठ (ऑडिट प्रकोष्ठ) का गठन किया गया है ।

1.5 उपलब्धियाँ :–

1.5.1 पेंशन तथा वेतन निर्धारण :–

माह नवम्बर, 2000 से दिसम्बर, 2017 तक की स्थिति में निम्नानुसार प्रकरणों का निराकरण किया गया :–

01.	पेंशन प्रकरणों की संख्या	–	97096
02.	पुनरीक्षित पेंशन प्रकरणों की संख्या	–	25082
03.	वेतन निर्धारण प्रकरणों की संख्या	–	2140027

पेंशन से संबंधित जानकारी एवं सुविधाप्रदाय करने हेतु cg.nic.in.pension website माह जुलाई, 2007 से स्थापित किया गया है।

छत्तीसगढ़ शासन, वित विभाग के निर्देश क्र. 24/2007 के द्वारा 1.1.96 एवं 1.1.2006 के पूर्व के पेंशनरों एवं परिवार पेंशनरों के पेंशन/परिवार पेंशन के पुनरीक्षण के निर्देश प्रसाारित किये गये इसके तारतम्य में पेंशन पुनरीक्षण का कार्य लगभग पूर्ण कर लिया गया है, साथ ही प्राधिकृत नये पेंशन प्रकरणों में नियमित भुगतान प्रारंभ होने के स्थिति की समीक्षा प्रत्येक माह किया गया है।

पेंशन प्रकरणों का निराकरण समय पर हो इसके लिये आगामी दो वर्ष में सेवानिवृत्त होने वाले समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों की वेतन निर्धारण की जाँच अनिवार्य तौर पर की गई है, ताकि पेंशन प्रकरणों का निराकरण समय पर हो एवं अधिक भुगतान की स्थिति निर्मित होने पर उसकी वसूली भी सुनिश्चित किया जा सके।

1.5.2 अंशदायी पेंशन योजना :- 1. छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 485/एफ-2015-04-01753/वित्त/नियम/चार दिनांक 27.11.2017 (वित्त निर्देश 58/2017) द्वारा योजनांतर्गत जमा राशि का आंशिक आहरण की प्रक्रिया निर्धारित किया गया है । इसके तहत अभिदाता आवश्यकता पड़ने पर योजना में जमा राशि का अभिदाता के अंशदान में से 25 प्रतिशत तक की राशि पुत्र या पुत्री तथा वैध दत्तक पुत्र या पुत्री के उच्च शिक्षा/विवाह/मकान, फ्लैट निमार्ण/क्रय/बीमारी के उपचार हेतु आंशिक आहरण कर सकता है ।

2. पूर्व में शासकीय सेवक के नवनियुक्त होने पर नियुक्ति माह के आगामी माह से अंशदान की कटौती किया जाता था। ज्ञापन कमांक 485/एफ 2015-04-01753/वित्त/नियम/ चार दिनांक 27.11.2017 (वित्त निर्देश 58/2017) द्वारा शासकीय सेवक के नवनियुक्त होने पर प्रथम माह से ही सी.पी.एस. अंशदान की कटौती प्रारंभ किया गया है। जिससे अभिदाता को अंशदान एवं ब्याज के रूप में आर्थिक लाभ हो रहा है।

3. योजनांतर्गत जानकारी प्रदाय करने एवं विभिन्न सुविधाओं का उपयोग कर अभिदाता को लाभान्वित करने हेतु राज्य के समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (कुल 4389) जो एन.एस. डी.एल. में पंजीकृत हैं उनका डी.डी.ओ. एक्टीवेशन कराया गया ।

4. अंशदायी पेंशन योजना का प्रचार प्रसार करने एवं अभिदाताओं को योजना की जानकारी प्रदाय कर जागरूक करने हेतु राज्य स्तरीय सेमिनार का आयोजन किया गया ।

वित्तीय वर्ष 2017-18 में जनवरी, 2017 तक ट्रस्टी बैंक ''एक्सिस बैंक'' को योजना की कुल राशि 31,97,17,39,871 (शब्दों में-इक्तीस अरब सन्तानवे करोड़ सत्तरह लाख उन्चालीस हजार आठ सौ इक्हत्तर रू.) मात्र स्थानांतरित किया जा चुका है।

1.5.3 पेंशनर कल्याण कोष :-

राज्य के पेंशनरों की समस्याओं के निराकरण के लिये राज्य शासन को उपाय सुझाने के उद्धेश्य से मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन के अध्यक्षता में पेंशन कल्याण मण्डल गठित है, मण्डल में विभिन्न पेंशनर संघों के 05 प्रतिनिधि अशासकीय सदस्यों के रूप में नामांकित है।

राज्य गठन के पश्चात पेंशनरों एवं उसके परिवारों के सदस्यों को गंभीर बीमारी, दुर्घटनाग्रस्त होने, चश्मा एवं दांत बनवाने की स्थिति में वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिये पेंशनर कल्याण को गठित है। कोष में उपलब्ध राशि रू.91,10,000.00 में से माह नवम्बर, 2000 से माह दिसम्बर, 2017 तक 530 पेंशनरों को वित्तीय सहायता के रूप में राशि रू.59,13,082.00 स्वीकृत किये गये हैं।

1.5.4 कोषालय स्तर पर कम्प्यूटरीकरण :- राज्य शासन के वित्तीय प्रशासन को सुदृढ़ बनाने एवं आय-व्यय पर प्रभावी नियंत्रण रखने के उद्देश्य से समस्त कोषालयों एवं उपकोषालयों को दिनांक 01.04.2005 से कम्प्यूटरीकृत किया गया है। जिसमें सभी कोषालयों एवं उपकोषालयों को संचालनालय के मध्य लीज-लाईन एवं व्ही.पी.एन/ब्रॉडबैण्ड के माध्यम से ऑनलाईन नेट-वर्किंग स्थापित की गई है। इस प्रणाली के अंतर्गत राज्य के आय-व्यय की अद्यतन स्थिति ज्ञात करने में सुविधा होती है। छ.ग. राज्य के कोषालयों में ''ई-कोष'' लागू कर संपूर्ण कोषालयों के कम्प्यूटरीकरण का सॉफ्टवेयर एन.आई.सी. द्वारा विकसित किया गया है। कोषालयों में डाटा प्रविष्टि के साथ अन्य कार्य जैसे की डिपॉजिट, ई-कर्मचारी, ई-पेरोल, ई-पेमेंट, पंजी का कैशबुक संधारण, पेंशनर का पी.पी.ओ. जारी करना एवं सूची तैयार करना तथा बजट कन्ट्रोल इत्यादि कार्यो का निर्वहन किया जा रहा है। वर्तमान में दिनांक 01.04.2017 से पूर्णत: केन्द्रीकृत ऑनलाईन व्यवस्था साईबर ट्रेज़री प्रारंभ की गई है जिसमें राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, मुख्यालय महानदी भवन, नया रायपुर में स्थापित सेंट्रल सर्वर के माध्यम से समस्त जिला एवं उपकोषालयों का संपूर्ण कार्य ऑनलाईन संपादित होता है। इससे राज्य शासन के आय-व्यय की संपूर्ण जानकारी सेंट्रल सर्वर के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है।

1.5.5 ई-चालान की सुविधा :- राज्य शासन द्वारा 10/2006 से राज्य में वाणिज्य कर विभाग में ई-चालान की सुविधा प्रारंभ की गई है एवं दिनांक 10.03.2008 से सभी विभागों के लिये भी लागू किया गया है। इस प्रक्रिया से इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग करने वाला व्यक्ति घर पर ही चालान जमा कर सकता है। लेखांकन हेतु सिटी कोषालय रायपुर को अधिकृत किया गया है। चालान जमा करने के उपरांत जमाकर्ता को इलेक्ट्रिानिक चालान प्राप्त हो जाता है। यह सुविधा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आई.सी. आई.सी.आई. बैंक, एच.डी.एफ.सी. बैंक, इलाहाबाद बैंक, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, देना बैंक, आईडीबीआई बैंक, इंडियन ओव्हरसीज बैंक, बैंक ऑफ इंडिया एवं विजया बैंक के माध्यम से प्रदाय की जा रही है। भविष्य में लेखांकन एवं स्क्रालिंग संबंधित कार्य कोषालयों से लिंक कर दिया जावेगा ।

1.5.6 ई-पेमेंट :- भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सहयोग से संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन के अंतर्गत आने वाले अधिकारी/कर्मचारी का वेतन भुगतान दिनांक 01 नवम्बर 2010 से ई-पेमेंट के माध्यम से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रारंभ किया गया। इस सुविधा का विस्तार दिनांक 01.01.2011 से समस्त विभागों के लिए किया गया है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत वेतन जमा

होने की सूचना शासकीय सेवकों को मोबाईल पर संदेश (Message) की सुविधा बैंक के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है। सभी शासकीय विभागों द्वारा प्रदायकर्ताओं (Contractor/ Vendors/Suppliors) को रू. 5,000.00 या इससे अधिक का भुगतान ई-पेमेंट के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर किया जा रहा है। शासकीय सेवकों के सभी स्वत्वों का भुगतान भी ई-पेमेंट के माध्यम से किया जा रहा है। भारतीय रिर्जव बैंक के ई-कुबेर साफ्टवेयर के माध्यम से ई-पेंमेट प्रांरभ करने का कार्य प्रक्रियाधीन है। शीघ्र ही राज्य शासन के समस्त प्रकार के भुगतान का कार्य भारतीय रिर्जव बैंक के ई-कुबेर साफ्टवेयर के माध्यम से प्रारंभ कर दिया जाएगा।

1.5.7 साख पत्रों का कम्प्यूटरीकरण :- वित्तीय वर्ष 2013-14 में निर्माण कार्य विभागों के लिए प्रचलित साख-पत्र व्यवस्था समाप्त करते हुए ई-कोष के माध्यम से ऑनलाईन बजट आबंटन/व्यय आदि का लेखा संधारण किया जा रहा है।

1.5.8 विभागीय निरीक्षण :- कोषालय संहिता अनुभाग-03 के सहायक नियम 38 के अनुसार कोषालय का विभागीय निरीक्षण किया जाता है। संचालनालय कोष लेखा एवं पेंशन छत्तीसगढ़ के अन्तर्गत 05 संभागीय संयुक्त संचालक, 06 संभागीय कोषालय, 22 जिला कोषालय, 02 लेखा प्रशिक्षण शाला एवं 40 उपकोषालय संचालित है।

संभागीय संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन, संभागीय जिला कोषालयों एवं लेखा प्रशिक्षण शाला का विभागीय निरीक्षण प्रत्येक वर्ष तथा जिला कोषालयों का 03 वर्ष एवं उपकोषालयों का 6 वर्ष में किया जाना है।

1.5.9 लेखा प्रशिक्षण शाला :- संचालनालय, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, नया रायपुर द्वारा आयोजित लेखा प्रशिक्षण परीक्षा वर्ष 2017 में सम्मिलित परीक्षार्थियों के संबंध में जानकारी निम्नानुसार है:-

माह	परीक्षा हेतु जारी रोल नंबर	उपस्थित	अनुपस्थित	योग	उत्तीर्ण	अनुत्तीर्ण	योग
फरवरी	123	122	1	**123**	73	49	**122**
जून	102	100	2	**102**	54	46	**100**

1.5.10 ऑडिट प्रकोष्ठ :- छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर के पत्र क्रमांक 923/782/2013/स्था./चार दिनांक 26.08.2013 द्वारा लेखा परीक्षण कार्य को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए आयुक्त, कोष लेखा एवं पेंशन के अधीन एक पृथक आंतरिक लेखा परीक्षण (ऑडिट प्रकोष्ट) का गठन किया गया है, जिसके द्वारा छत्तीसगढ़ शासन के समस्त कार्यालय प्रमुख एवं विभागाध्यक्ष कार्यालयों का आंतरिक लेखा परीक्षण एवं भंडार का भौतिक सत्यापन कार्य संपादित किया जावेगा ।

वित्तीय वर्ष 2017-18 के रोस्टर अनुसार 140 विभागाध्यक्ष/जिला कार्यालयों के लेखाओं का अंकेक्षण एवं भंडार का भौतिक सत्यापन किया जाना है, जिसमें से 96 विभागाध्यक्ष/जिला कार्यालयों को अंकेक्षण किया जा चुका है, शेष कार्यालयों का अंकेक्षण माह-मार्च, 2018 तक पूर्ण किया जावेगा ।

भाग–दो

बजट एक दृष्टि में –

बजट प्रावधान एवं व्यय योजनावार

मांग संख्या–..मुख्य शीर्ष–2049–ब्याज संदाय

स. क्र.	योजना	योजना का नाम	वर्ष 2017–18 हेतु प्रावधान	व्यय दिसम्बर 2017 की स्थिति तक
1	4192	शास. कर्मचारी समूह बीमा योजना (बीमा निधि पर ब्याज)	200000000	172194000
2	4198	शास. कर्मचारी समूह बीमा योजना (बचत निधि पर ब्याज)	530000000	490268000
3	4209	शासकीय सेवक परिवार कल्याण निधि पर ब्याज	60000000	45196000
4	6802	पारिभाषित अंशदायी पेंशन योजना पर ब्याज	100000	0
		योग–2049	790100000	707658000
मांग संख्या–06–2054–राजकोष और लेखा प्रशासन (मतदेय एवं भारित)				
5	3843	लेखा प्रशिक्षण शाला	8260000	4410217
6	5697	कोषालय कम्प्यूटर प्रशिक्षण केंद्र	0	0
7	2274	निदेशन और प्रशासन	191490000	109306537
8	4307	संभागीय स्थापना	82770000	47691117
9	1026	खजाना स्थापना	405280000	249332778
10	8904	ऑडिट सेल	29020000	11939823
		योग–2054	716820000	422680472
मांग संख्या–06–2071–पेंशन एवं सेवानिवृत्ति लाभ				
11	6801	राज्य शासन का अंशदान	3700000000	2974593542
मांग संख्या–06–2235–सामाजिक सुरक्षा और कल्याण				
12	7000	पेंशन कल्याण कोष की राशि की प्रतिपूर्ति	10000	10000
मांग संख्या 06–2885– उघोगों और खनिजों पर अन्य परिव्यय				
13	4843	अधोसंरचना विकास निगम	112000000	50000000
मांग संख्या 67–4059 लोक निर्माण कार्यो पर पूंजी				
14	1024	खजाना और लेखा प्रशासन	700000	700000
		महायोग	531963000	4155642014

भाग–तीन

संचालनालय, कोष, लेखा एवं पेंशन के अंतर्गत संचालित समस्त योजना एवं स्थापना व्यय आयोजनेत्तर मद में स्वीकृत है। राज्य योजना एवं केन्द्र प्रवर्तित योजना मद में न ही कोई स्थापना व्यय है और न ही कोई योजना संचालित है, अतः इसकी जानकारी निरंक है ।

भाग–चार–

सामान्य प्रशासनिक विषय :– निरंक ।

भाग–पाँच

अभिनव योजना :–

भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के सहयोग से संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन के अंतर्गत आने वाले अधिकारी/कर्मचारी का वेतन भुगतान दिनांक 01 नवम्बर, 2010 से ई– पेमेंट के माध्यम द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रारंभ किया गया। इस सुविधा का विस्तार दिनांक 01.01.2011 से समस्त विभागों के लिए किया गया है । इस प्रक्रिया के अंतर्गत वेतन जमा होने की सूचना शासकीय सेवकों को मोबाइल पर संदेश के रूप में उपलब्ध कराई जा रही है । 01 जुलाई 2012 से इस माध्यम से वेंडर खाते में सीधे राशि अंतरित की जा रही है। आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के चालू खाते में भी ई–पेमेंट के माध्यम से राशि का अंतरण किया जा रहा है।

भाग–छः

विभाग द्वारा निकाले जा रहे प्रकाशन :– निरंक ।

भाग–सात

अन्य विवरण

7.1 जीवन बीमा योजना :–

दिनांक 01.11.1974 से शासकीय परिवार कल्याण निधि योजना अनिवार्य रूप से प्रभावशील की गई है तत्पश्चात् म.प्र. शासन द्वारा दिनांक 01.07.1985 से समूह बीमा योजना प्रभावशील करते हुए यह प्रावधान रखा गया है कि शासकीय सेवक परिवार कल्याण योजना 1974 के सदस्य अपना नकारात्मक विकल्प प्रस्तुत कर पूर्व अनुसार परिवार कल्याण निधि योजना के सदस्य बने रहकर योजना के अंतर्गत अनिवार्य रूप से अंशदान जमा कराते रहेंगे। किन्तु ऐसा विकल्प प्रस्तुत न करने पर वे स्वमेव समूह बीमा योजना, 1985 के अनिवार्य सदस्य होगें तथा अनिवार्य रूप से उनके वेतन से समूह बीमा योजना, 1985 के अंतर्गत कटौत्रा किया जावेगा।

यह योजना संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन के प्रशासकीय नियंत्रणाधीन है तथा योजनाओं से संबंधित बिन्दुओं पर प्रशासित करना, योजनाओं के अभिलेखों का निरीक्षण करना, योजना के अंतर्गत भुगतान राशि का परीक्षण करना, योजना से संबंधित आय-व्यय के आंकड़े संबंधी संचित अवशेष राशियों पर ब्याज संगणित करना एवं शासन को प्रतिवेदन का कार्य सौंपा गया है। इस विभाग द्वारा कई कार्यालय प्रमुखों द्वारा जारी किये गये परिवार कल्याण निधि तथा समूह बीमा योजना के अधीन स्वीकृति आदेश तथा पात्रता राशि का परीक्षण किया गया और त्रुटि पाये जाने पर संबंधितों को सुधार हेतु लेख किया गया साथ ही चाहे जाने पर उन्हें मार्गदर्शन भी दिया गया ।

वर्तमान में 01.07.2017 से समूह बीमा योजना के अभिदान कटौत्रा राशि में पुन: 50 प्रतिशत वृद्धि की कार्यवाही शासन स्तर पर की गयी है । जिसमें प्रथम श्रेणी के शासकीय सेवकों का कटौत्रा 480/-, द्वितीय श्रेणी 360/-, तृतीय श्रेणी 300/- एवं चतुर्थ श्रेणी का कटौत्रा 180/- किया गया है।

परिवार कल्याण निधि तथा समूह बीमा योजना में प्रतिवर्ष जमा राशि पर देय ब्याज राशियों का अंतरण प्रविष्टि के माध्यम से समायोजन किया जाता है। उक्त योजना के अधीन सिर्फ सेवानिवृत्ति/सेवापृथक की स्थिति में बचत निधि पर तिमाही चक्रवृद्धि ब्याज सहित तथा मृत्यु की दशा में बीमा राशि देय होती है।

---000---

संचालनालय, स्थानीय निधि संपरीक्षा, छत्तीसगढ़, नया रायपुर

भाग – 1

1. सामान्य जानकारी –

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग के अंतर्गत स्थानीय निधि संपरीक्षा विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम 1973 में निहित प्रावधानों के अनुसार राज्य में स्थित निगमित एवं अनिगमित स्थानीय निकायों एवं शैक्षणिक संस्थाओं आदि के लेखाओं का अंकेक्षण किया जाता है। स्थानीय निधि संपरीक्षा द्वारा स्थानीय निकायों के अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के क्रियान्वयन पर प्रकाश डाला जाता है। प्रतिवेदन में स्थानीय निकाय के आर्थिक स्थिति तथा लेखाओं के संबंध में संक्षिप्त विवरण सम्मिलित करते हुए, दृष्टिगत वित्तीय अनियमितताओं एवं महत्वपूर्ण आपत्तियों का समावेश किया जाता है।

इस प्रतिवेदन में वित्तीय वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 (31 दिसम्बर, 2017 तक) की अवधि में, जिन स्थानीय निकायों के लेखाओं की पश्चात्वर्ती संपरीक्षा संपादित की गई है, उनकी आर्थिक स्थिति एवं लेखाओं के विशिष्टताओं का सारांशीकृत विवरण दिया गया है। अनियमितताओं के संबंध में समय–समय पर विशेषत: निकायों की संपरीक्षा के समय ही, निकाय के प्रधान अधिकारियों के साथ विचार विमर्श पश्चात् विगत तथा वर्तमान संपरीक्षा प्रतिवेदनों में उत्थापित आपत्तियों के निराकरण तथा लेखा प्रणाली में आवश्यक सुधार लाने हेतु विशेष प्रयास किये जाते हैं।

2. स्थानीय निधि संपरीक्षा का प्रशासकीय ढांचा –

संचालनालय, स्थानीय निधि संपरीक्षा के अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर, राजनांदगांव, रायगढ़ एवं अम्बिकापुर में स्थापित हैं। संचालनालय एवं अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालयों के लिये कुल 377 पदों का सृजन किया गया है। जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

क	कार्यालय	कुल पद संख्या
1	संचालनालय, रायपुर	64
2	क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर	75
3	क्षेत्रीय कार्यालय, बिलासपुर	55
4	क्षेत्रीय कार्यालय, जगदलपुर	42
5	क्षेत्रीय कार्यालय, राजनांदगांव	67
6	क्षेत्रीय कार्यालय, रायगढ़	38
7	क्षेत्रीय कार्यालय, अम्बिकापुर	36
कुल पद संख्या		**377**

संचालनालय एवं अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालयों में दिनांक 31.12.2017 की स्थिति में कार्यरत स्टॉफ की जानकारी निम्नानुसार है :-

क	पद का नाम	वेतन मैट्रिक्स	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	टीप
1	संचालक	भारतीय प्रशासनिक सेवा का वेतनमान	01	01	0	–
2	अतिरिक्त संचालक	लेवल–15	01	0	01	–
3	संयुक्त संचालक	लेवल–14	03	03	0	–
4	उप संचालक	लेवल–13	07	06	01	–
5	सहायक संचालक	लेवल–12	24	11	13	–
6	ज्येष्ठ संपरीक्षक	लेवल–9	83	73	10	–
7	असिस्टेंट प्रोग्रामर	लेवल–9	01	0	01	–
8	अधीक्षक	लेवल–9	01	0	01	–
9	मुख्य लिपिक	लेवल–8	02	0	02	–
10	सहायक अधीक्षक	लेवल–8	01	01	0	–
11	सहायक ग्रेड 1	लेवल–7	01	0	01	–
12	स्टेनोग्राफर	लेवल–7	01	0	01	–
13	सहायक संपरीक्षक	लेवल–6	165	87	78	–
14	लेखापाल	लेवल–6	01	0	01	–
15	सहायक ग्रेड 2	लेवल–6	13	13	0	–
16	डाटा एंट्री ऑपरेटर	लेवल–6	9	01	08	–
17	सहायक ग्रेड 3	लेवल–4	23	17	06	07 पदों पर सी.आई.डी.सी. से कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत है।
18	स्टेनो टायपिस्ट	लेवल–4	05	0	05	–
19	वाहन चालक	लेवल–4	05	05	0	04 पद पर संविदा से कार्यरत है। 01 पद पर कले. दर से कार्यरत है।
20	भृत्य	लेवल–1	23	16	07	07 पदों पर सी.आई.डी.सी. से कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत है।
21	चौकीदार (अस्थाई)	लेवल–1	07	07	0	–
योग			**377**	**241**	**136**	

छत्तीसगढ़ स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, 1973 के तहत् कुल 12444 निकायों के लेखाओं की संपरीक्षा की जाती है जिनमें 10971 ग्राम पंचायत भी सम्मिलित हैं। स्थानीय निधि संपरीक्षा के अधीनस्थ क्षेत्रीय रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर, राजनांदगांव, रायगढ़ एवं अम्बिकापुर में पदस्थ अमले द्वारा क्षेत्र अंतर्गत स्थित निगमित एवं अनिगमित निकायों की संपरीक्षा की जाती है।

3. प्रशिक्षण –

संचालनालय, स्थानीय निधि संपरीक्षा के अधिकारियों/कर्मचारियों को समय-समय पर छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी निमोरा रायपुर में निम्नलिखित विषयों पर प्रशिक्षण कराये गये हैं :-

1. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का प्रभावी क्रियान्वयन
2. बजट प्रक्रिया, ई-कोष आन लाईन बिल प्रस्तुतीकरण
3. छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 तथा छत्तीसगढ़ वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील नियम 1966, गोपनीय प्रतिवेदन में मतांकन
4. मार्डन ऑफीस मेनेजमेंट
5. भण्डार क्रय नियम, आंतरिक लेखा परीक्षण आदि

4. सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के क्रियान्वयन-

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा - 18 एवं धारा ''क" के अंतर्गत इस संचालनालय के निम्नलिखित कार्यालयों के लिए क्रमशः अपीलीय अधिकारी एवं लोक सूचना अधिकारी निम्नानुसार नामांकित किये गये हैं -

1. प्रथम अपीलीय अधिकारी - श्री बी.एस. भगत, संयुक्त संचालक, संचालनालय स्थानीय निधि संपरीक्षा,
2. लोक सूचना अधिकारियों के नाम एवं पद नाम -

क.	कार्यालय	लोक सूचना अधिकारी
1.	संचालनालय, नया रायपुर	सुश्री भारती सिंह राजपूत, सहायक संचालक
2.	क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर	श्री एस.एस. ताण्डेय, उप संचालक
3.	क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर	श्री पीयूष प्रसाद, उप संचालक
4.	क्षेत्रीय कार्यालय राजनांदगांव	श्री जी.के.पुर्रे, उप संचालक
5.	क्षेत्रीय कार्यालय जगदलपुर	श्री विकास माहेश्वरी, सहायक संचालक
6.	क्षेत्रीय कार्यालय रायगढ़	श्री सी.आर. देवहारे, उप संचालक
7.	क्षेत्रीय कार्यालय अंबिकापुर	श्री विनय ठाकुर, सहायक संचालक

उक्त के अलावा प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी नामित किये गये हैं। संचालनालय द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानानुसार समुचित कार्यवाही की जा रही है। सूचना के अधिकार के तहत विभाग में प्राप्त ओवदनों का यथा समय निराकरण किया जाता है। प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष 4 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसका निराकरण यथासमय में किया गया है।

5. जनकार्य दिवस की स्थिति :-

अ वित्तीय वर्ष 2016-17 की जनकार्य दिवसों की स्थिति निम्नानुसार थी :-

01.04.2016 को अवशेष	2015-16 की मांग	कुल मांग	वर्ष 2016-17 में संपादित कार्य	31.03.2017 को अवशेष
525520	84790	610310	28138	582172

टीप - नवीन निकायों के गठन/उन्नयन के कारण वर्ष 2016-17 की मांग में परिवर्तन दृष्टिगत है।

ब वित्तीय वर्ष 2017-18 (31.12.2017 तक) में जनकार्य दिवसों की स्थिति निम्नानुसार थी :-

01.04.2017 को अवशेष	2017-18 की मांग	कुल मांग	वर्ष 2017-18 में संपादित कार्य (31.12.2017 तक)	31.12.2017 को अवशेष
582172	84587	666759	18808	647951

6. संपरीक्षा शुल्क :-

अ. 2016-17 में संपरीक्षा शुल्क जमा एवं शेष की स्थिति निम्नानुसार थी :-

01.04.2016 को प्रारंभिक शेष	2015-16 की मांग	कुल मांग	कुल वसूली (31.03.2017 तक)	दिनांक 31.03.2017 को अवशेष
185626284	45822922	231449206	36229780	195219426

ब. 2017-18 (31 दिसम्बर 2017 तक) में संपरीक्षा शुल्क जमा एवं शेष की स्थिति निम्नानुसार थी :-

01.04.2017 को प्रारंभिक शेष	2017-18 की मांग	कुल मांग	कुल वसूली (31.12.2017 तक)	दिनांक 31.12.2017 को अवशेष
195219426	62132241	257351667	40773518	216578149

7. संपरीक्षा प्रतिवेदन :-

वित्तीय वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 (31 दिसम्बर 2017 तक) में विभिन्न संस्थाओं/ निकायों की ओर संपरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रसारण की स्थिति का विवरण निम्नानुसार है :-

अ वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्रसारित संपरीक्षा प्रतिवेदनों की स्थिति निम्नानुसार रही थी :-

01.04.2016 को प्रसारण हेतु लंबित प्रति	2016-17 में प्राप्त प्रतिवेदन	कुल प्रतिवेदन	वर्ष 2016-17 में प्रसारित प्रतिवेदन	31.03.2017 को प्रसारण हेतु अवशेष
169	885	1054	980	74

ब वित्तीय वर्ष 2017-18 (दिनांक 31 दिसम्बर 2017 तक) में प्रतिवेदन प्रसारण की स्थिति निम्नानुसार है :-

01.04.2017 को अवशेष	2017-18 में (31.12.2017 तक) प्राप्त प्रतिवेदन	कुल प्रतिवेदन	वर्ष 2017-18 में (31.12.2017 तक) प्रसारित प्रतिवेदन	31.12.2017 को प्रसारण हेतु अवशेष
74	656	730	652	78

8. निराकृत आपत्तियां :-

वित्तीय वर्ष 2016-17 तथा 2017-18 (31 दिसम्बर 2017 तक) की स्थिति में विभिन्न स्थानीय निकायों की ओर लंबित एवं निराकृत आपत्तियों की जानकारी एवं सन्निहित राशि की जानकारी निम्नानुसार थी:-

अ. वित्तीय वर्ष 2016-17 की स्थिति में :-

प्रारंभिक लंबित आडिट आपत्ति संख्या	वर्ष के दौरान लिये गये आडिट आपत्तियों की संख्या	कुल अवशेष आडिट आपत्तियों की संख्या	वर्ष के दौरान निराकृत आडिट आपत्तियों की संख्या	अवशेष आडिट आपत्तियों की संख्या	सन्निहित राशि
269353	28689	298042	10288	287754	144291272742

ब. वित्तीय वर्ष 2017-18 (31 दिसम्बर 2017 तक) की स्थिति में :-

प्रारंभिक लंबित आडिट आपत्ति संख्या	वर्ष के दौरान लिये गये आडिट आपत्तियों की संख्या	कुल अवशेष आडिट आपत्तियों की संख्या	वर्ष के दौरान निराकृत आडिट आपत्तियों की संख्या	अवशेष आडिट आपत्तियों की संख्या	सन्निहित राशि
287754	20494	308248	14010	294238	171169925848

9. **स्थानीय निकायों के आय-व्यय** -

प्रतिवेदनाधीन वर्ष में जिन निकायों की संपरीक्षा की गई उनके आय-व्यय के आंकड़े निम्नानुसार रहे :-

(राशि ₹ में)

अ	वित्तीय वर्ष 2016-17 की स्थिति में :-	
	आय -	63139049257.00
	व्यय -	55757454662.00
ब.	वित्तीय वर्ष 2017-18 (31.12.2017) की स्थिति में	
	आय -	126976198819.00
	व्यय -	58420894256.00

10. प्रभक्षण :-

लेखा नियमों की अवहेलना तथा स्थानीय निकायों द्वारा प्रशासनिक शिथिलता के कारण प्रतिवेदनाधीन अवधि में प्रभक्षण की स्थिति निम्नानुसार थी :-

दिनांक 31.03.2017 तक अनिराकृत प्रभक्षण प्रकरणों की संख्या	प्रभक्षण प्रकरणों सन्निहित राशि ₹
2419	110970798.00

11. अधिभार :-

छत्तीसगढ़ स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अंतर्गत, ऐसी हानियों के प्रकरण जिसमें किसी अधिकारी /कर्मचारियों की अपने कर्तव्यों के प्रति घोर अवहेलना, कदाचरण अथवा तत्परता से कर्तव्यों का पालन न करने या कर्तव्यों के प्रति उदासीनता बरतने के कारण अवैधानिक व्यय हुआ हो, ऐसे प्रकरणों में अधिभार कार्यवाही संस्थित की जाती है। ऐसे अधिभार प्रकरणों में विभाग द्वारा कार्यवाही की स्थिति निम्नानुसार है :-

अ. वित्तीय वर्ष 2016-17 की स्थिति में :-

क्र.	प्रकरणों का विवरण	संख्या	सन्निहित राशि ₹	निराकृत संख्या	अवशेष संख्या	अवशेष राशि ₹
1	अधिभार आरोप पत्र	41	826140	0	41	826140
2	अधिभार सूचना	26	487095	0	26	487095
3	अधिभार आदेश	11	93546	0	11	93546
4	मांग हेतु प्रमाण पत्र	19	73725	0	19	73725

ब. वित्तीय वर्ष 2017-18 की स्थिति में :-

क्र.	प्रकरणों का विवरण	संख्या	सन्निहित राशि ₹	निराकृत संख्या	अवशेष संख्या	अवशेष राशि ₹
1	अधिभार आरोप पत्र	34	2187869	0	34	2187869
2	अधिभार सूचना	34	4184964	0	36	4184964
3	अधिभार आदेश	37	1770744	0	37	1770744
4	मांग हेतु प्रमाण पत्र	19	73725	0	19	73725

भाग - दो

बजट :-

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त एवं योजना विभाग मंत्रालय रायपुर द्वारा वर्ष 2017-18 के लिये राशि ₹21.63 करोड़ आबंटित किया गया। आबंटित बजट में से दिनांक 31.12.2017 तक कुल राशि ₹11.98 करोड़ व्यय हुआ है ।

भाग - तीन

1. निरीक्षण :-

संचालनालय के अधीन स्थानीय निकायों में पश्चातवर्ती संपरीक्षा दल के कार्यो का समय-समय पर सहायक संचालक द्वारा निरीक्षण पर्यवेक्षण किया जाता है। इसके अतिरिक्त संचालक के निर्देशन में गठित निरीक्षण दल द्वारा भी निरीक्षण किया जाता है ।

2. पर्यवेक्षण :-

प्रतिवेदनाधीन वर्ष में विभिन्न स्तरीय निकायों की विभिन्न वर्षो की लेखाओं की संपरीक्षा की गई तथा जिसमें से अधिकांशत: निकायों का विभागीय अधिकारियों द्वारा पर्यवेक्षण भी किया गया।

3. अंकेक्षण के दौरान वसूली :-

स्थानीय निकायों में संपरीक्षा के दौरान पाई गई अनियमितताओं एवं त्रुटियों को प्रकाश में लाते हुए अंकेक्षण द्वारा उत्तरदायी पदाधिकारियों से कुल राशि ₹449132.00 की वसूली की जाकर निकाय निधि में जमा कराई गई।

---000---

संचालनालय, संस्थागत वित्त, छत्तीसगढ़, नया रायपुर
भाग–1

संचालनालय के गठन का उद्देश्य :–

छत्तीसगढ़ राज्य के बैंको के माध्यम से सामाजिक एवं आर्थिक विकास हेतु चलाई जा रही योजनाओं के सफल क्रियान्वयन, राज्य का वित्तीय एजेंसियों के साथ समन्वय तथा राज्य में संस्थागत वित्त का अधिकाधिक प्रवाह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संस्थागत वित्त संचालनालय की स्थापना की गई है। तद्नुसार संचालनालय को निम्नांकित दायित्व सौंपे गये :–

1. बैंकिग कार्यकलापों का विस्तार तथा बैंको को विकासमूलक कार्यक्रम के संपादन में आने वाली बाधाओं/समस्याओं का निराकरण करना।
2. बैंको एवं वित्तीय संस्थाओं के योगदान से संबंधित राज्य और जिला स्तर समन्वय समितियों तथा सलाहकार समिति से जुडे कार्य।
3. जिला एवं राज्य स्तरीय ऋण योजना, ऋण देने की प्रणाली एवं गति में सुधार संबंधित कार्य।
4. बैंकों में शासकीय जमा हेतु बैंकों के इम्पैनलमैन्ट संबंधी कार्य।
5. Public Expenditure Tracking System - Management Information System (PETS MIS) के अंतर्गत इम्पैनल बैंकों से प्राप्त शासकीय जमा के आंकड़ों का संकलन।
6. विदेशी सहायता प्राप्ति एवं तत्संबंधी परियोजनाओं का सफल क्रियान्वयन एवं अभिलेख इत्यादि का संधारण कार्य।
7. भारत सरकार, राज्य शासन, भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड द्वारा प्रवर्तित योजनाओं तथा निर्देशावली के क्रियान्वयन।
8. प्रधानमंत्री जन–धन योजना के क्रियान्वयन हेतु सहायता प्रदान करना।
9. प्रधानमंत्री की बीमा योजनाओं (प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना) के क्रियान्वयन हेतु सहायता प्रधान करना।

राज्य शासन की विकास नीतियों को मूर्त रूप देने के लिये अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने के उद्देश्य से भारत शासन के माध्यम से विदेशी सहायता भी प्राप्त की जाती है। चूंकि विदेशी सहायता की राशि भारत शासन के माध्यम से राज्य शासन की अतिरिक्त योजना संसाधन के रूप में प्राप्त होती है, संचालनालय का यह प्रयास रहा कि भारत सरकार को अधिक से अधिक विकास परियोजनाएं विदेशी सहायता हेतु प्रेषित की जाए, जिससे राज्य की विकास गति को अपेक्षा अनुसार वित्तीय समर्थन मिलता रहे। संचालनालय द्वारा ऐसी विदेशी संस्थाओं से सहायता ली जाती है, जिसका ऋण दर कम हो तथा अधिक से अधिक अनुदान प्राप्त हो।

माननीय प्रधानमंत्री द्वारा सम्पूर्ण भारत वर्ष में वित्तीय समावेशन हेतु प्रधानमंत्री जन धन योजना का शुभारंभ अगस्त, 2014 को किया गया था। इस अभियान के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य में 128 लाख से ज्यादा व्यक्तियों ने बैंकों में नये खाते खोले है।

वित्तीय समावेशन की अगली कड़ी में भारत सरकार ने सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मई 2015 से तीन महत्वपूर्ण योजनाओं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पी.एम.जे. जे.बी.वाय.), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पी.एम.एस.बी.वाय.) एवं अटल पेंशन योजना (ए.पी. वाय.) का शुभारंभ किया है। उक्त योजनाओं का प्रमुख उद्देश्य समाज के प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। इन तीनो महत्वपूर्ण योजनाओं में राज्य में नवम्बर, 2017 तक पी.एम.जे.जे.बी.वाय. के अंतर्गत 9.48 लाख, पी.एम.एस.बी.वाय. के अंतर्गत 44.33 लाख लोगो ने अपना पंजीकरण कराया है। अटल पेंशन योजना, जिसका मुख्य उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, कामगारों एवं पेंशन विहिन व्यक्तियों को वृद्धावस्था में निश्चित पेंशन प्रदान करना है के अंतर्गत राज्य के 1.05 लाख से अधिक जनसंख्या अटल पेंशन योजना से जुड़ चुकी है।

अल्प बचत एवं राज्य लॉटरीज की सामान्य जानकारी

छत्तीसगढ़ राज्य में अल्प बचत योजनाओं को राज्य में बढ़ावा देना है। अल्प बचत योजनाएं निम्नलिखित हैं :-

1. किसान विकास पत्र 8 वर्ष 4 माह में राशि दुगुनी
2. राष्ट्रीय बचत पत्र आठवां निर्मम
3. मासिक आय योजना
4. सावधि जया योजना
5. डाकघर बचत खाता
6. पंच वर्षीय आवर्ती जमा योजना
7. वरिष्ठ नागरिक पेंशन योजना 9.3 प्रतिशत मासिक ब्याज दर
8. लोक भविष्य निधि खाता में डेढ़ लाख की वृद्धि कर दी गई, 8.7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर है।

उपरोक्त योजनाओं का क्रियान्वयन एस.ए.एस. एजेंट ए.पी.के.वी.वाय एजेंटों की नियुक्ति एवं पी.पी.एफ. एजेंटों की नियुक्ति संबंधी कार्य संचालनालय की देख-रेख में जिला कलेक्टर द्वारा किया जाता है।

संचालनालय का शासकीय ढ़ाँचा –

उपरोक्त दायित्वों एवं कार्यो के संपादन एवं निर्वहन के लिये स्थापित संस्थागत वित्त संचालनालय के अधीन राज्य स्तर एवं चिन्हित स्थलों पर क्षेत्रीय अमला स्वीकृत है।

संचालनालय के अमले में निम्नलिखित सेटअप की स्वीकृति प्रदान की गई है :-

क्र.	पदनाम	वेतन मैट्रिक्स	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद
1.	संचालक	भारतीय प्रशासनिक सेवा का प्रवर श्रेणी वेतनमान	01	01	–
2.	अतिरिक्त संचालक	लेवल–15	01	01	–
3.	संयुक्त संचालक	लेवल–14	01	01	–
4.	सहायक संचालक	लेवल–12	01	–	01
5.	प्रोग्रामर सह सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर	लेवल–12	01	–	01
6.	सहायक सॉख्यिकी अधिकारी	लेवल–9	01	–	01
7.	क्षेत्रीय वित्तीय समावेशन अधिकारी	लेवल–9	04	04	
8.	स्टेनोग्राफर वर्ग–2	लेवल–9	01	01	–
9.	स्टेनोग्राफर वर्ग–3	लेवल–7	01	01	–
10.	सहायक ग्रेड–01	लेवल–7	01	01	–
11.	लेखापाल	लेवल–6	01	01	–
12.	सहायक वर्ग–2	लेवल–6	02	02	–
13.	डाटाएन्ट्री ऑपरेटर	लेवल–6	03	03	–
14.	क्षेत्रीय सहायक (वित्तीय समावेशन)	लेवल–5	02	02	–
15.	सहायक ग्रेड–3	लेवल–4	03	03	–
16.	वाहन चालक	लेवल–4	03	03	–
17.	भृत्य	लेवल–1	03	02	01
18.	चौकीदार	कलेक्टर दर पर	01	01	–
	योग		**31**	**27**	**04**

भारतीय रिजर्व बैंक से प्रतिनियुक्त अधिकारी, अपर संचालक के पद पर पदस्थ हैं। स्टेनोग्राफर वर्ग–3, लेखापाल तथा भृत्य के पद संविदा नियुक्ति से भरे गये हैं।

भाग–2

बजट प्रावधान एवं व्यय

अ.

2052–सचिवालय सामान्य सेवायें

(091)–संबंद्ध कार्यालय

4296–संचालनालय संस्थागत वित्त

- विभागीय उपलब्ध बजट

(आंकडे लाख रू. में) (31 दिसम्बर, 2017 की स्थिति में)

क्रमांक	बजट शीर्ष	प्राप्त आबंटन	व्यय	शेष
01	वेतन भत्तों आदि #01	129.79	72.03	57.6
02	मजदूरी #02	3.00	1.88	1.12
03	यात्रा भत्ता #03	14.00	3.88	10.12
04	कार्यालय व्यय #04	14.66	4.58	10.08
05	प्रशिक्षण #05	1.00	0.00	1.00
06	व्यवसायिक सेवाओं #10 हेतु अदायगियां	8.00	5.44	2.56
07	अनुरक्षण पर व्यय #24 एवं उपकरण	2.75	0.74	2.01
	योग–	173.2	88.55	84.65

ब.

2052–सचिवालय सामान्य सेवायें

(091)–संबंद्ध कार्यालय

4296–संचालनालय संस्थागत वित्त

2435–अन्य कृषि कार्यक्रम

(आंकडे लाख रू. में) (31 दिसंबर, 2017 की स्थिति में)

क्रमांक	बजट शीर्ष	प्राप्त आबंटन	व्यय	शेष
01	कृषक ऋण ब्याज दर युक्तियुक्तकरण हेतु ब्याज–0101–5628	33,00.00	13,69.46	19,30.54

स.

- **यूरोपियन कमीशन – राज्य साझेदारी कार्यक्रम अंतर्गत उपलब्ध बजट**

2052–सचिवालय सामान्य सेवायें

(091)–संबंद्ध कार्यालय

4296–संचालनालय संस्थागत वित्त

6725–यूरोपियन कमीशन

(आंकडे लाख रू. में) (31 दिसम्बर, 2017 की स्थिति में)

क्र.	बजट शीर्ष	प्राप्त आबंटन	व्यय	शेष
01	वेतन भत्तों आदि #01	5.00	2.08	2.92
02	यात्रा भत्तों #03	5.00	3.60	1.40
01	कार्यालय व्यय #04-009 सूचना आौद्योगिकी	20.00	0	20.00
02	प्रशिक्षण अधिकारियों/ #05-001 कर्मचारियों का प्रशिक्षण	20.00	8.92	11.08
03	अनुरक्षण कार्य #24	1.00	0	1.00
04	व्यावसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां परामर्श सेवाएं #10-003	7.00	0	7.00
	योग	58.00	14.6	43.4

द.

2052–सचिवालय सामान्य सेवायें

(091)–संबंद्ध कार्यालय

7836–अल्प बचत

- **विभागीय उपलब्ध बजट**

(आंकडे लाख रू. में) (30 नवम्बर, 2017 की स्थिति में)

क्रमांक	बजट शीर्ष	प्राप्त आबंटन	व्यय	शेष
01	वेतन भत्तों आदि #01	93.10	55.72	37.38
02	यात्रा भत्तों #03	1.05	0.12	0.93
03	कार्यालय व्यय #04	5.30	0.59	4.71
	योग–	99.45	56.43	43.02

भाग–3

संचालनालय के कार्यकलाप एवं गतिविधियाँ :–

1. संचालनालय के सफल आयास से बैंकों के कार्यक्षमता में वृद्धि हुई है। सितम्बर, 2017 की स्थिति में राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में 1246, अर्द्धशहरी क्षेत्रों में 723 एवं शहरी क्षेत्रों में 756 कुल 2,725 बैंक शाखा कार्यरत रही है। बैंकों को साख जमा अनुपात का प्रतिशत भारतीय रिजर्व बैक द्वारा निर्धारित राष्ट्रीय बैचमार्क 60% के विरूद्ध सितम्बर, 2017 में 67.96% हुआ है। राज्य में प्राथमिक क्षेत्रों में साख की दर भारतीय रिजर्व बैक द्वारा निर्धारित राष्ट्रीय बैचमार्क 40% के विरूद्ध सितम्बर, 2017 में 49.55% हो गया हैं। कृषि ऋण (अग्रिम) कुल साख का प्रतिशत भारतीय रिजर्व बैक द्वारा निर्धारित राष्ट्रीय बैचमार्क 18% के विरूद्ध सितम्बर, 2017 में 17.66% हुआ है। कृषि क्षेत्र में कुल अग्रिम सितम्बर, 2016 में रु.14,133.67 करोड़ के विरुद्ध सितम्बर, 2017 में 15,301.74 करोड हुआ है। यह वृद्वि 8% हैं। सूक्ष्म एवं लघु उद्योग क्षेत्र में कुल अग्रिम सितम्बर, 2016 में रु.17,470.88 करोड़ के विरूद्ध सितम्बर, 2017 में रु.19,964.54 करोड़ हुआ है, जो कि 14% अधिक है। कमजोर क्षेत्र को अग्रिम का कुल साख का प्रतिशत भारतीय रिजर्व बैक द्वारा निर्धारित राष्ट्रीय बैचमार्क 10% के विरूद्ध सितम्बर, 2017 में 14.72% हुआ है।
2. अग्रणी बैंक योजना के अंतर्गत् प्रदेश के 27 जिले विभिन्न वाणिज्यिक बैंकों को आबंटित किए गए हैं। अग्रणी बैंक का प्रमुख उत्तरदायित्व जिले की साख योजनाओं को तैयार कर कार्यान्वित करना एवं बैंक तथा जिला प्रशासन के बीच प्रभावी समन्वय स्थापित करना है। जिला स्तर पर साख संबंधी योजना तैयार करने का कार्य को सुगम बनाने के लिये राज्य स्तर पर विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन करने वाली शासकीय विभागों के साथ समन्वय कर आगामी वर्ष की साख योजना के लिये दस्तावेज तैयार करने का प्रयास किया जाता है। शासन प्रायोजित योजनाओं के अंर्तगत लक्ष्य प्राप्ति हेतु बैंकों के साथ अनुश्रवण कर वित्त पोषण सुनिश्चित किया जाता है। संचालनालय द्वारा स्टेट क्रेडिट प्लान 2017–18 तैयार किया गया है, जिसमें योजनावार एवं जिलावार भौतिक, वित्तीय लक्ष्य एवं अनुदान की राशि का समावेश किया गया है।

भाग–4

बैंक वसूली प्रोत्साहन योजना प्रकोष्ठ (ब्रिस्क) का क्रियान्वयन :–

शासन आायोजित योजनाओं के अंर्तगत व्यावसायिक बैंकों एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा प्रदत्त ऋणों के प्रतिदेय राशियों की वसूली हेतु सहायता करने में राज्य शासन भरसक प्रयत्नशील हैं। इस दिशा में राज्य शासन वसूली हेतु अपने प्रशासनिक तंत्र (राजस्व अमला) की सुविधा उपलब्ध कराती है। ब्रिस्क योजना के अंर्तगत पूर्ववर्ती मध्यप्रदेश राज्य से छत्तीसगढ़ राज्य को रु.12,83,629.00 बंटवारे में प्राप्त हुए। छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के बाद से **दिसम्बर, 2017** की स्थिति में ब्रिस्क खाते में रु.**24,88,856.92** जमा है।

---000---

संचालनालय, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, छत्तीसगढ़, नया रायपुर

संचालनालय, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली छत्तीसगढ़ कार्यालय का गठन छत्तीसगढ़ राज्य में दिनांक 13 अगस्त, 2001 को किया गया था। वित्त विभाग के अंतर्गत गठित इस कार्यालय द्वारा राज्य शासन के वित्तीय प्रबंध एवं वित्तीय नियंत्रण से संबंधित सभी कार्य संपादित किये जाते है।

वर्ष 2017-18 में कार्यालय की गतिविधियां :-

वर्ष 2016-17 का निष्पादन बजट, वर्ष 2017-18 का बजट अनुमान तथा प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय अनुपूरक अनुमान वर्ष 2017-18 संकलित कर निर्धारित प्रारुप में तैयार किया गया । वर्ष 2017-18 का चतुर्थ अनुपूरक अनुमान व वर्ष 2018-19 का मुख्य बजट अनुमान का संकलन कार्य प्रगति पर है।

संगठनात्मक ढाँचा :-

संचालनालय हेतु निम्नलिखित पद संरचना की स्वीकृति प्रदान की गई है :-

क्र.	पद	श्रेणी/संवर्ग	पद संख्या	वेतन लेबल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	संचालक	भारतीय प्रशासनिक सेवा	पदेन	-
2.	अपर संचालक (राज्य वित्त सेवा)	प्रथम श्रेणी	01	15
3.	संयुक्त संचालक (राज्य वित्त सेवा)	प्रथम श्रेणी	01	14
4.	उप संचालक, वित्त	प्रथम श्रेणी	01	13
5.	सांख्यिकी अधिकारी	द्वितीय श्रेणी	01	12
6.	प्रोग्रामर	द्वितीय श्रेणी	01	12
7.	सहायक लेखा अधिकारी	तृतीय श्रेणी	02	9
8.	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	तृतीय श्रेणी	01	9
9.	सहायक प्रोग्रामर	तृतीय श्रेणी	01	8
10.	डाटा एन्ट्री आपरेटर	तृतीय श्रेणी	04	6
11.	स्टेनोग्राफर अंग्रेजी	तृतीय श्रेणी	01	7
12.	स्टेनोग्राफर हिन्दी	तृतीय श्रेणी	01	7
13.	सहायक ग्रेड-02	तृतीय श्रेणी	01	6
14.	सहायक ग्रेड-03	तृतीय श्रेणी	03	4
15.	वाहन चालक	तृतीय श्रेणी	02	4
16.	भृत्य	चतुर्थ श्रेणी	03	1

बजट आबंटन तथा व्यय (वित्तीय वर्ष 2017–18)

31 दिसम्बर, 2017 की स्थिति में

(राशि रुपये में)

क्रमांक	मुख्य शीर्ष	योजना क्रमांक	योजना का नाम	बजट आबंटन	वास्तविक व्यय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	2052	4295	संचालनालय, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली	99,85,000.00	72,10,203.00
	योग				72,10,203.00

❖ **सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत वर्ष 2017 में प्राप्त प्रकरणों के कियान्वयन की जानकारी**

प्राप्त आवेदन पत्र	निराकृत	अस्वीकृत
(1)	(2)	(3)
निरंक	**निरंक**	**निरंक**

---000---

छत्तीसगढ़ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, छत्तीसगढ़, रायपुर

सामान्य जानकारी

(1) गठन का उद्देश्य

सी.आई.डी.सी. का गठन, कम्पनी अधिनियम के अंतर्गत छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग के प्रशासकीय नियंत्रण में 26 फरवरी, 2001 को किया गया था। इसे अपना व्यवसाय प्रारंभ करने का प्रमाण-पत्र 28 मार्च, 2001 को प्राप्त हुआ। शासन द्वारा इसकी अधिकृत अंशपूंजी ₹10.00 करोड़ रखी गयी है। मेमोरेण्डम एण्ड आर्टिकल्स आफ एसोसियेशन के अनुसार इस कार्पोरेशन के गठन का मुख्य उद्देश्य निम्नानुसार है:-

यह निगम राज्य में सभी प्रकार की अधोसंरचना विकास एवं उसके लिये निजी पूंजी निवेश के समन्वय हेतु छत्तीसगढ़ शासन के प्रमुख सलाहकार व नोडल एजेन्सी के रुप में तथा राज्य में सभी प्रकार की अधोसंरचना विकास परियोजनाओं हेतु नीति के निर्धारण, संवर्धन, विकास, क्रियान्वयन, निर्माण, संचालन, रखरखाव, प्रबंधन एवं वित्तीय व्यवस्था के लिये प्रवर्तक, सलाहकार, प्रायोजक व प्रबंधन सेवा प्रदाता के रुप में कार्य करेगा।

(2) संगठनात्मक ढाँचा

सी.आई.डी.सी. में निम्नानुसार अमला कार्यरत् है:-

क्रमांक	पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत् पद
1.	प्रबंध संचालक	1	1
2.	मुख्य महाप्रबंधक	2	1
3.	प्रबंधक	2	-
4.	प्रबंधक (लेखा)	1	1
5.	स्टेनोग्राफर	6	2
6.	रिसेप्सनिस्ट	2	-

(3) क्रियाकलाप

सी.आई.डी.सी. द्वारा वर्ष 2003 से मुख्यत: विघटित मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के परिसमापन एवं पुनर्वास का ही कार्य किया जा रहा है। पुनर्वास प्रक्रिया के अंतर्गत दिनांक 31.12.2015 की स्थिति में 972 कर्मचारी विभिन्न विभागों/निगमों/मंडलों आदि में

प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ हैं, जबकि 17 कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति पर भेजा जाना है। विघटित परिवहन निगम के 32 कर्मचारी परिसमापन संबंधी कार्य कर रहे हैं।

सी.आई.डी.सी. द्वारा आई.आई.एम., अहमदाबाद के साथ पी.पी.पी. परियोजनाओं हेतु मानव संसाधन प्रदाय करने हेतु एम. ओ यू हस्ताक्षरित किया गया है। इसके अलावा गृह विभाग, छत्तीसगढ़ शासन हेतु दो पी.पी.पी. परियोजनाओं (1) पुलिस पब्लिक स्कूल, रायपुर (2) 100 बिस्तर अस्पताल एवं ट्रामा सेन्टर, जगदलपुर हेतु ट्रांसेक्शन एडवाजर के रूप में कार्य किया जा रहा है।

(4) बजट प्रावधान एवं व्यय

सी.आई.डी.सी. को वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्रावधानित राशि ₹1000.00 लाख में से राशि ₹500.00 लाख का आहरण किया गया है, जिसके विरूद्ध लगभग ₹566.00 लाख का व्यय हो चुका है।

---000---

तृतीय छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग

छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग, मंत्रालय नया रायपुर की अधिसूचना क्रमांक 02/एल 8-9 (पार्ट)/2016/वित्त/वि.आ.प्र. दिनांक 20.01.2016 द्वारा तृतीय राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है।

छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर के ज्ञाप क्रमांक 28/12/2016/वि. आ.प्र./चार, दिनांक 29.03.2016, द्वारा निम्नानुसार 27 अस्थाई पदों के लिए स्वीकृति प्रदान किया गया है :-

क्रमांक	पद का नाम	पदों की संख्या
1	सचिव	1
2	संयुक्त सचिव	1
3	अनुसंधान अधिकारी	1
4	स्टेनोग्राफर ग्रेड-1 अध्यक्ष के निज सचिव	1
5	कार्यालय अधीक्षक	1
7	सहायक प्रोग्रामर	1
6	सहायक ग्रेड-1	1
8	संगणक	1
9	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	2
10	स्टेनोग्राफर वर्ग-3	2
11	लेखापाल	1
12	सहायक ग्रेड-2	2
13	सहायक ग्रेड-03	2
14	वाहन चालक	2
15	भृत्य	5
16	चौकीदार	1
17	फर्राश	1
18	स्वीपर	1

राज्य वित्त आयोग का उद्देश्य

राज्य में स्थानीय निकायों के अंर्तगत 10,971 ग्राम पंचायत, 146 जनपद पंचायत, 27 जिला पंचायत, एवं 168 स्थानीय नगरीय निकायों में 13 नगर निगम, 44 नगर पालिका परिषद तथा 111 नगर पंचायतें हैं।

उपरोक्त स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने तथा राज्य द्वारा उद्ग्रहणीय करों, शुल्कों, पथकरों तथा फीसों के शुद्ध आगमों तथा सभी स्तरों के निकायों के बीच आबंटन को निर्धारित करने वाले सिद्धान्तों की अनुशंसा करने के लिए निर्देश है। राज्य की संचित निधि से इन संस्थाओं को सहायता अनुदान देने के संबंध में अनुशंसा करना भी आयोग का कार्य है, आयोग का एक और महत्वपूर्ण कार्य स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने के उपायों के बारे में सुझाव देना है।

आयोग को वित्तीय वर्ष 2017-18 में राशि रू. 75.00 लाख आबंटित किया गया है, जिसमें से माह दिसम्बर, 2017 तक कुल राशि रू. 59.58 लाख व्यय किया जा चुका है।

---000---